न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
पीठासीन अधिकारी:– श्री कुसुमलता चौहान (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या –90 2023

वादीगण		बनाम	प्रतिवादीगण
1	हरिकिशन शंकरलाल उणेचा पुत्र शंकरलाल उणेचा जाति थानक (ब्राह्मण) निवासी घोसीवाडा स्वामी विवेकानन्द मार्ग सोजत सिटी हाल निवासी सर्वे नम्बर 49 3 2 लेन नं 4 श्रमिक नगर न्यू हनुमान मंदिर धानोरी पूर्ण सिटी महाराष्ट्र	01	रमेश पुत्र शंकरलाल उणेचा जाति थानक(ब्राहमण) निवासी उणेचा टेन्ट हाउस के सामने घोसीवाडा स्वामी विवेकान्द मार्ग सोजत सिटी तहसील सोजत जिला पाली राज0
		03	माणक पुत्र शंकरलाल उणेचा जाति थानक (ब्राहमण) निवासी सर्वे नम्बर 07 Talajai, Parthar Saidalt Nagar Datta Mandir Jaiwai, Dhanawadi pune Maharastra 411043

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 एवं 188 राजस्थान काशतकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति:–

1. श्री पुनित दवे अधिवक्ता वादी उपस्थित।
2. श्री सुरेन्द्र वैष्णव अधिवक्ता प्रतिवादी उपस्थित

–: **निर्णय** :– दिनांक – 22/05/24

अधिवक्ता मय वादी ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा सोजत चक द्वितीय तहसील सोजत के खसरा नम्बर 67 रकबा 0.6900 हैक्टर, खसरा नम्बर 879 रकबा 1.6700 हैक्टर की कृषि भूमि आई हुई स्थित है। उभय पक्षो ने विभाजन प्रस्ताव जारी किये जाने का निवेदन किया। उभय पक्षो की सहमति अनुसार प्राथमिक डिक्री जारी कर न्यायालय द्वारा दिनांक 03.04.2024 को हस्तगत प्रकरण में प्राथमिक डिक्री जारी कर वादस्थ भूमि का विभाजन प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार सोजत को आदेशित किया गया। तहसीलदार सोजत ने क्रमांक/राजस्व /2024 /632 दिनांक 17.05.2024 को विभाजन प्रस्ताव तैयार कर न्यायालय में पेश किया जो सा0मि0 है। प्राप्त विभाजन पर अनुसार वादी अधिवक्ता द्वारा निर्णय पारित कर डिक्री जारी किये जाने हेतु निवेदन किया।

अधिवक्ता मय वादी एवं प्रतिवादीगण, तहसीलदार, सोजत को सुना गया। पत्रावली का ध्यानपुर्वक अध्ययन किया गया। तहसीलदार सोजत द्वारा प्रमाणित विभाजन प्रस्ताव का गहनता पूर्वक अध्ययन किया गया। वस्तुतः माफिक विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा दिनांक 13.05.2024 वादी का राजस्व वाद डिक्री किया जाकर विवादित भूमि में वादी की भूमि का पक्षकारानों में बंटवाडा किया जाना उचित समझते है।

–: **आदेश** :–

अतः माफिक विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा दिनांक 13.05.2024 अनुसार डिक्री बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती है कि सरहद मौजा सोजत चक द्वितीय तहसील सोजत के खसरा नम्बर 67 रकबा 0.6900 हैक्टर, खसरा नम्बर 879 रकबा 1.6700 हैक्टर की कृषि भूमि का बंटवाड़ा/विभाजन खातेदारों के बीच खसरा नम्बर, रकबा एवं लगान का निर्धारण निम्नांकित रूप से किया जाता है तथा विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शे को निर्णय एवं डिक्री पर्चा का भाग बनाया जाता है –

क्र.स.	नाम खातेदार	ख0सं0	रकबा	किस्म	लगान
01	हरिकिशन पुत्र शंकरलाल कौम ब्राह्मण सा0 देह खातेदार	67/4 879/1	0.2330 0.5566	जा0दो0	

उपखण्ड अधिकारी

02	माणक रमेश पि0 शंकरलाल कौम ब्राहम्ण सा0 देह खातेदार	02 67 879 02	0.7896 0.4660 1.1134 1.5794	जा0दो0	

उक्तानुसार प्रतिवादी को वादी के हक हिस्से में दखल अन्दाजी करने से जरिये स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता है। तहसीलदार सोजत उक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद एवं तरमीम कर पालना न्यायालय हाजा को प्रस्तुत करें। उक्तानुसार डिकी पर्चा मुर्तिब हो। इस निर्णय, डिकी पर्चा एवं विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा की प्रति तहसीलदार सोजत को पालना हेतु तहरीर के साथ प्रेषित करके पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)

उपखण्ड अधिकारी सोजत जिला-पाली (राज.)

यह निर्णय आज दिनांक 22/05/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ020 नियम 6 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

बइजलाश श्री कुसुमलता चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व वाद 92/2023

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. हरिकिशन शंकरलाल उणेचा पुत्र शंकरलाल उणेचा जाति थानक (ब्राह्मण) निवासी घोरीवाडा स्वामी विवेकानन्द मार्ग, सोजत सिटी हाल निवासी सर्वे नम्बर 49/3/2 लेन नो 4 श्रमिक नगर न्यू हनुमान मंदिर, धानोरी पूर्ण सिटी महाराष्ट्र।	01	रमेश पुत्र शंकरलाल उणेचा जाति थानक(ब्राह्मण) निवासी उणेचा टेन्ट हाउस के सामने, घोरीवाडा स्वामी विवेकान्द मार्ग सोजत सिटी तहसील सोजत जिला पाली राज0
	03	माणक पुत्र शंकरलाल उणेचा जाति थानक (ब्राह्मण) निवासी सर्वे नम्बर 07 Talajai, Parthar Saidalt Nagar Datta Mandir Jaiwai, Dhanawadi pune Maharastra 411043

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपखण्ड अधिकारी सोजत, जिला-पाली (राज.)

राजस्व वाद संख्या :-

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजिरी श्री पुनित दवे अधिवक्ता वादीगण एवं सुरेन्द्र वैष्णव अधिवक्ता प्रतिवादी पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि माफिक डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा सोजत चक द्वितीय तहसील सोजत के खसरा नम्बर 67 रकबा 0.6900 हैक्टर, खसरा नम्बर 879 रकबा 1.6700 हैक्टर की कृषि भूमि का बंटवाड़ा/विभाजन खातेदारों के बीच खसरा नम्बर, रकबा एवं लगान का निर्धारण निम्नांकित रूप से किया जाता है तथा विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शे को निर्णय एवं डिक्री पर्चा का भाग बनाया जाता है –

क्र.स.	नाम खातेदार	ख0सं0	रकबा	किस्म	लगान
01	हरिकिशन पुत्र शंकरलाल कौम ब्राह्मण सा0 देह खातेदार	67/4 879/1	0.2330 0.5566	जा0दो0	01
		02	0.7896		
02	माणक रमेश पि0 शंकरलाल कौम ब्राह्मण सा0 देह खातेदार	67 879	0.4660 1.1134	जा0दो0	02
		02	1.5794		

उक्तानुसार प्रतिवादी को वादी के हक हिस्से में दखल अन्दाजी करने से जरिये स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता है। तहसीलदार सोजत उक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद एवं तरमीम कर पालना न्यायालय हाजा को प्रस्तुत करें। इस निर्णय, डिक्री पर्चा एवं विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा की प्रति तहसीलदार सोजत को पालना हेतु तहरीर के साथ प्रेषित करके पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

मीजान – मुबलिग – बाबत --

खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह शून्य फीसदी सालाना ब्याज की तारीख से तारीख वसूलवाली तक शून्य की अदा करें।

बशिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 22/5/24 को जारी की गई।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी सोजत

उपखण्ड अधिकारी, सोजत (राज.)

मददई	रूपया	न.पै.	मुददायला	रूपया	न.पै.
स्टाम्प अरजीदावा	शून्य	शून्य	स्टाम्प वकलतनामा	शून्य	शून्य
स्टाम्प वकालतनामा	शून्य	शून्य	स्टाम्प अरजी	शून्य	शून्य
स्टाम्प वजह सबूत	शून्य	शून्य	महनताना वकल	शून्य	शून्य
महनताना वकील पर	शून्य	शून्य	खर्चा गवाहान	शून्य	शून्य
खर्चा गवाहान	शून्य	शून्य	फीस कमिश्नर	शून्य	शून्य
फीस कमिश्नर	शून्य	शून्य	बाबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	शून्य
बाबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	शून्य	मुतफर्रिक	शून्य	शून्य
मतफर्रिक	शून्य	शून्य			
मददई	रूपया	न.पै.	मुददायला	रूपया	न.पै.

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)